राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांकः एफ.8(7) आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2025/ जयपुर, दिनांकः

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 (राजस्थान राज–पत्र के विशेषांक अधिसूचना 2010) के अनुरूप आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य के नवगठित जिलो के लिए (फलौदी, बालोतरा, ब्यावर, सलूम्बर, डीग, डीडवाना–कुचामन, खैरथल–तिजारा व कोटपूतली–बहरोड) एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके द्वारा गठित करती है जो (जिले के नाम से) आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा।

प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर गठित होगाः–

(i) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
(ii) प्रमुख, जिला परिषद	सह अध्यक्ष
(iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिष्द	सदस्य
(iv) जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(v) जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
(vi) जिले के जल संसाधन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
(vii) अपर कलक्टर/अपर जिला मजिस्ट्रेट	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्राधिकरण के, निम्नलिखित, स्थायी आमंत्रित होंगेः–

(i) जिले से निर्वाचित संसद (लोकसभा) सदस्य।

(ii) जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्य।

(iii) जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी।

जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियो में, यदि वह आवश्यक समझे, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।

जिला प्राधिकरण, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी विभाग के किसी जिला स्तरीय अधिकारी को, जो प्राधिकरण का सदस्य नही है, सहयुक्त कर सकेगा, यदि प्राधिकरण यह वांछनीय समझे कि उसकी उपस्थिति तुरन्त निवारण, शमन और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है।

जिला प्राधिकरण का कार्यालय और कर्मचारीवृन्दः– जिला प्राधिकरण का कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर/कलेक्ट्रेट के सहायता अनुभाग के भारसाधक अधिकारी के कार्यालय में होगा और समस्त आवश्यक कर्मचारीवृन्द उस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगें।

जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्यः– जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,–

(i) अधिनियम की धारा 30, 31, 33 और 34 के अधीन इसे न्यस्त समस्त कृत्यों का पालन करेगा।

(ii) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो, इसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किये जाये।

(iii) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो वह जिले में आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

(iv) नीतिगत निर्णयों के लिए अपेक्षित ऐसे समस्त मामले राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(भगवत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 14520635

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामिण विकास एवं पंचायती राज़ विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर, फलौदी, बालोतरा, ब्यावर, सलूम्बर, डीग, डीडवाना—कुचामन, खैरथल—तिजारा व कोटपूतली—बहरोड़ (राज0)।
8. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
9. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग/सार्वजनिक निर्वाण विभाग।
10. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय।
11. एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को विभागीय वेब—साईट पर अपलोड करने एवं राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

संयुक्त शासन सचिव

Document certified by BHAGWAT SINGH <bhagwat181@gmail.com>.

Digitally Signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date :24-04-2025 03:54:13